संतोष कुमार सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 410-411 वर्ष 2012)

03 जुलाई, 2014

[ऐच. ऐल. दत्तू, सुधांसु ज्योति मुखोपाध्याय और ऐम. वाई. इकबाल, जस्टिस]

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 307, 394, 397 और 450-के तहत दोषसिद्धि और सजा-अभियुक्त ने महिला, उसकी बेटियों और उसके बेटे पर लोहे के हथौड़े से हमला किया, उसके बाद सोने के आभूषण और नकदी लूट ली-हमले के परिणामस्वरूप, महिला और उसके बेटे ने दम तोड़ दिया और बेटियां गंभीर रूप से घायल-नीचे की न्यायालयों द्वारा धारा 302, 307, 394, 397 और 450 में दोषसिद्धि और सजा-औचित्य-अभिनिर्धारित: महिला और उसके बेटे की मौत प्रकृति में हत्या है-जब्ती के ज्ञापन के स्वतंत्र गवाहों के बयान में कोई विरोधाभास नहीं-अभियुक्तो द्वारा लूटे गए आभूषण की परिवार के सदस्यों द्वारा पहचान-बेटियां/घायल गवाहों ने घटना को स्पष्ट रूप से बताया-अभियोजन ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि घटना से पहले अभियुक्त मृतक और घायल गवाहों को जानते थे और घटना की तारीख पर अभियुक्त उनके घर आए थे-घायल गवाहों

द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आभूषणों की जब्ती, हथौड़े, खून से सने कपड़ों से हुई-अभियुक्त को उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का मौका दिया गया-हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को मौत की सजा दिया जाना अनुपातहीन-मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया-दोषसिद्धि और बाकी सजा का हिस्सा बरकरार रखा गया.

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियुक्त 'जीएम' के परिवार को जानता था जिसमें उसकी पत्नी 'एन' और बेटा 'जेए' और बेटियां 'आर'-पीडब्ल्यू3 और 'पी'-पीडब्ल्यू4 शामिल थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अभियुक्त 'एन' के घर आया और आधे घंटे तक बातचीत की। 'एन' की बेटियों ने भी यही देखा। कुछ समय बाद अभियुक्त वापस आया और पीडब्लू 3 और पीडब्लू 4, 'एन' और जेए' पर लोहे के हथौड़े से हमला किया और उसके बाद, 'जीएम' के घर से सोने के आभूषण और नकदी लूट ली। 'एन' और 'जेए' ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पीडब्लू3 और पीडब्लू4 को गंभीर चोटें लगीं। एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से नकदी बरामद की गई। इसके बाद अभियुक्त के घर से चोरी का सामान, लोहे का हथौड़ा और खून से सने कपड़े बरामद किए गए। 'एन' और जेए' की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे आईपीसी की धारा 302, 307, 394, 397 और 450 के अपराध के लिए दोषी ठहराया और

तदनुसार सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने आदेश बरकरार रखा। इसलिए, तत्काल अपील।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया-

1.1 पन्चनामा और जांच करने वाले उप-निरीक्षक, पीडब्लू-12 और कांस्टेबल पीडब्लू-15 के साक्ष्यों से, यह पाया गया कि 'एन' और 'जेए' की मृत्यु उनके शरीर पर पाए गए आत्मघाती घावों से हुई। [पैरा 11] [938-ई-एफ]

1.2. पीडब्लू.6 और पीडब्लू-7 जब्ती ज्ञापन के स्वतंत्र गवाह हैं। अपने बयान में उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी उपस्थिति में आरोपियों को गिरफ्तार किया और लगभग 23,000/- रूपये उससे जब्त किये और अभियुक्त को पूछताछ के लिये थाने लाया गया। थाने में अभियुक्त ने आभूषण, हथौडा और कपड़े के बारे में खुलासा किया, जिसके आधार पर आभूषण, हथौड़ा और कपड़े जब्त कर लिए गए। दोनों गवाहों ने पीडब्लू-11 के बयान की पुष्टि की है। जिरह के दौरान दोनों गवाहों, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने स्वीकार किया कि वे 'जीएम' के घर गए थे। दोनों गवाहों के बयानों में कोई कमज़ोरी या विरोधाभास नहीं है. [पैरा 13] [939-सी-डी]

1.3. पीडब्लू-9 ने कहा कि पुलिस के अनुरोध पर उन्होंने आभूषणों की पहचान की और पहचान से पहले पुलिस ने अन्य आभूषणों को एक

सीलबंद पैकेट में सौंप दिया था। उन्होंने इसे मिलाया और फिर पहचान की और पहचान के दौरान 'जीएम' और पीडब्लू4 ने असली आभूषण की पहचान की थी। पहचान के बाद उन्होंने स्टेडियम के बाहर खड़ी पुलिस को एक पैकेट में आभूषण सौंप दिए थे। [पैरा 14] [939- I E-F]

1.4. पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4, मृतक 'एन' की बेटियां और मृतक 'जेए' की बहनें घायल प्रत्यक्षदर्शी हैं; घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं। दोनों गवाहों, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के बयानों से अभियुक्तों द्वारा घटना से पहले उनके घर आने, मृतिका 'एन' के साथ जलपान करने और उसके साथ बातचीत करने के तथ्य साबित होते हैं, जिसकी पुष्टि एफआईआर से भी होती है। इन दोनों गवाहों ने यह भी कहा कि पहले अभियुक्त ट्यूशन पढ़ने आते थे और उनकी मां अभियुक्त को अपने बेटे की तरह मानती थी और अभियुक्त की तस्वीर भी उनके घर में लगी हुई थी। सबूतों से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 अभियुक्त की पहचान करने की स्थिति में थे, अभियुक्त लंबे समय से पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 दोनों से अच्छी तरह परिचित था। अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया कि घटना से पहले भी अभियुक्त मृतक और घायल गवाहों पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 को जानता था और घटना की तारीख पर भी, अभियुक्त उनके घर आया था और जलपान किया था और बातचीत हुई. [पैरा 15] [939-जी-एच; 940-ए-डी]

1.5. पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4- 'एन' की बेटियों ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि शुरुआत में अभियुक्त ने उनका घर छोड़ दिया और कुछ समय बाद अभियुक्त फिर से उनके घर आया था। दरवाजा खोलने पर उसने 'जेए' के सिर पर हथौड़े से वार किया था, जो पीडब्लू3 की चीखें सुनकर बाहर आई थी और फिर शयनकक्ष में प्रवेश करने के बाद उसने मृतक 'एन' के सिर पर हथौड़ा मारा था। पीडब्लू-4 के बयान से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त ने स्टोर-रूम में घुसकर उसके सिर पर वार किया था और फिर अभियुक्त ने अलमारी, सूटकेस, बक्सा और अटैची आदि से पैसे और आभूषण निकाल लिए थे। पीडब्लू-3 ने यह भी कहा कि उसने अभियुक्त को 'जेए' के सिर पर वार करते देखा था लेकिन वह यह नहीं देख सकी कि किसने पीडब्लू-4 'आर' और उसकी मां को मारा। इस तरह के बयान को विरोधाभासी नहीं कहा जा सकता है और पीडब्लू-4 द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। [पैरा 16] [940-ई-जी]

1.6. पीडब्लू-4 के बयान से पता चलता है कि अभियुक्त ने 'एन' और उसकी बेटियों को मारने के बाद 'एन' के आभूषण, नकद राशि और चूड़ियाँ छीन लीं और फिर वह दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गया।। पीडब्लू-4 ने आगे बताया कि इसके बाद वह बालकनी में गई और पीडब्लू-1 को रोका, जिसने उस समय अपना वाहन निकाला था और कहीं जा रहा था और तभी दरवाजा खुल गया। उक्त कथन PW-1 के कथन से सिद्ध हुआ,

जिसने इसी प्रकार का कथन किया था। [पैरा 17,18] [940-एच; 941-ए-सी]

1.7. घायल गवाहों पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के बयानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, आभूषणों की जब्ती, हथौड़े, खून से सने कपड़ों की जब्ती और पीडब्लू-11 के बयान, और उनकी पुष्टि पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 द्वारा की गई है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भा. द. स. की धारा 302, 307, 394 सपठित धारा 397 और 450 के तहत अपराध के लिए सही दोषी ठहराया। [पैरा 19] [941-डी, ई]

1.8. जहां तक अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अवसर देने से इनकार करने के संबंध में लिया गया आधार गलत है, क्योंकि रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अभियुक्त को उचित अवसर दिया गया था। अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि अधिवक्ता 'एएस' ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना वकालतनामा दाखिल किया था। जब मामला साक्ष्य के लिए तय किया गया था, हालांकि अधिवक्ता गवाहों से जिरह करने के लिए सक्षम था, लेकिन उसने गवाहों की जिरह को इस आधार पर स्थगित करने के लिए आवेदन दायर किया कि अभियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता, 'आरएससी' को नियुक्त करना चाहता था। हालाँकि, न तो 'आरएससी' उपस्थित थे और न ही उसकी ओर से कोई वकालतनामा दाखिल किया गया था। उस दिन, दो

गवाहों पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 का परीक्षण किया गया और 'एएस', अधिवक्ता ने उन गवाहों से जिरह की। उन गवाहों में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था; वास्तव में पीडब्लू-1 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। दो दिन बाद, अधिवक्ता 'एएस' ने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने से इनकार कर दिया, जब अपीलकर्ता ने पूछने पर किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थता व्यक्त की। चूंकि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपील को आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ता 'जीपी' को नियुक्त किया। अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि 'जीपी सक्षम नहीं था या मामले को संभालने में असमर्थ था। इसके विपरीत अधिवक्ता जीपी द्वारा की गई गवाहों की जिरह से यह पाया गया कि वह मामले से निपटने में सक्षम थे। अगली तारीख पर भी न तो आरएससी, अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही उन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल किया। [पैरा 20,22] [941-ई-एफ; 942-ए-एफ]

1.9. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता एक शिक्षित व्यक्ति है, अपराध करने के समय उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। अभियुक्त मृतक के परिवार में अनुशिक्षक था. वह मृतक के साथ-साथ पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 से भी परिचित था। अभियुक्तों द्वारा ले जाए गए सामान और नकदी के अलावा अपराध करने के मकसद का सुझाव देने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अपीलकर्ता को सुधारा नहीं जा सकता या अभियुक्त एक सामाजिक खतरा है। विचाराधीन घटना के अलावा

अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह सच है कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता कि तत्काल मामला "दुर्लभतम श्रेणी" में आता है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्योें की सराहना करने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मौत की सज़ा व्यापक और अनुचित रूप से कठोर होगी। अपीलकर्ता की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। दोषसिद्धि और सजा के शेष भाग की पुष्टि की जाती है। [पैरा 29, 30] [955-बी-एफ]

बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 (2) एससीसी 684; मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1983 (3) एससीआर 413:1983 (3) एससीसी 470; रोनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 1998 (2) एससीआर 162:1998 (3) एससीसी 625: अलाउद्दीन मियां और अन्य। बनाम बिहार राज्य 1989 (2) एससीआर 498: (1989) 3 एससीसी 5; महाराष्ट्र राज्य बनाम गोरक्ष अंबाजी अडसुल 2011 (9) एससीआर 41: 2011 (7) एससीसी 437; रामनरेश एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012 (3) एससीआर 630:2012 (4) एससीसी 257: शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (6) एससीआर 949 : 2013 (5) एससीसी 546 संदर्भित।

न्यायिक दृष्टान्त संदर्भ:

1983 (3) एससीआर 413	संदर्भित	पैरा 24
1998 (2) एससीआर 162	संदर्भित	पैरा 25
1989 (2) एससीआर 498	संदर्भित	पैरा 25
2011 (9) एससीआर 41	संदर्भित	पैरा 25
2012 (3) एससीआर 630	संदर्भित	पैरा 27
2013 (6) एससीआर 949	संदर्भित	पैरा 28

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 410-411।/2012

म.प्र उच्च न्यायालय जबलपुर के सीआरएलआर क्रमांक 4/2010, सीआरएलए क्रमांक 48/2011 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.03.2011 से।

विनय कुमार गर्ग, नीरज क्र. शर्मा, नम्रता सिंह, प्रियंका दीक्षित अपीलकर्ता की ओर से ।

उत्तरदाता की ओर से विभा दत्ता मखीजा, अर्ची अग्निहोत्री।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.

1. ये अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की प्रधान पीठ द्वारा पारित 24 मार्च, 2011 के आम आक्षेपित फैसले के खिलाफ निर्देशित

हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 302, 307, 394, 397 और 450 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बरकरार रखा था जो कि इस प्रकार है:

धारा	अधिरोपित सजा
आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए (दो मायने में)	मौत की सजा सुनाई गई
धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध के लिए जुर्माना भुगतान में विफल रहने पर	प्रत्येक मामले में आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक पर रु. 10,000/- का जुर्माना (दो मायने में); दो साल का कठोर कारावास प्रत्येक मामले में
धारा 394 सपठित 397 के तहत अपराध के लिए जुर्माना भुगतान में विफल रहने पर	प्रत्येक पर दस साल का कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर रु 5000 जुर्माना प्रत्येक पर अतिरिक्त एक साल का कठोर कारावास

धारा 450 आईपीसी के अपराध के लिए	दस साल का कठोर कारावास एवं रु 5000 का जुर्माना, जुर्माना भुगतान में विफल रहने पर, अतिरिक्त एक साल का कठोर कारावास

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि का विरोध किया:

(ए) मुकदमा निष्पक्ष नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता को उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अवसर नहीं दिया गया था।

(बी) विचारण न्यायालय ने रजिया खातून (पीडब्लू-4) और जीनत परवीन (पीडब्लू-3) के बयान पर और अपीलकर्ता के कब्जे से आभूषणों और अन्य वस्तुओं की बरामदगी के साक्ष्य पर पूरी तरह भरोसा करके गंभीर गलती की।

(सी) विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, उचित नहीं है, क्योंकि दुर्लभतम मामला नहीं बनता है

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त-संतोष कुमार सिंह गुलाम मोहम्मद के परिवार को जानता था, जिसमें उनकी पत्नी नूरजहां, बेटा जावेद अख्तर और बेटियां रोज़ी @ रज़िया और ज़ीनत परवीन शामिल हैं। 7 मई 2010 को, अभियुक्त दोपहर लगभग 2 बजे

सेक्टर नंबर 12, क्वार्टर नंबर बी-664, एनसीएल कॉलोनी, सिंगरौली स्थित उनके घर आया। उसने नूरजहाँ बेगम (मृतक) से लगभग 30 मिनट तक बातचीत की। उसी कमरे में उसके अलावा रोज़ी उर्फ रजिया खातून (पीडब्लू-4) और ज़ीनत परवीन (पीडब्लू-3) भी मौजूद थीं। नूरजहां बेगम का बेटा जावेद अख्तर (मृतक) बेडरूम में सो रहा था. आरोपियों के जाने के बाद नूरजहाँ बेगम (मृतक) नमाज पढ़ने लगी, रोजी उर्फ रजिया नहाने के लिए बाथरूम में चली गयी और जीनत परवीन बाहर के कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद अभियुक्त वापस आया और दरवाजा खटखटाया; जीनत परवीन ने दरवाजा खोला तो अभियुक्त अंदर आ गया. तभी रोजी उर्फ रजिया बाथरूम से बाहर आई और देखा कि अभियुक्त बाहर के कमरे में जीनत से बात कर रहा है, उसी समय अभियुक्त ने अचानक अपनी टी-शर्ट से लोहे का हथौड़ा निकाला और जीनत परवीन के सिर पर दो-तीन वार कर दिए। जीनत परवीन चीख पड़ीं और बेहोश हो गईं। इसके बाद आरोपियों ने जान से मारने की नियत से नूरजहां बेगम और जावेद अख्तर के सिर पर हथौड़े से भी वार किया, जिससे दोनों गिर गये और बेहोश हो गये. इसके बाद अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से रोजी उर्फ रजिया के सिर पर हथौड़े से प्रहार किया, जिससे रजिया का सिर टूट गया। इसके बाद आरोपियों ने अलमारी, सूटकेस और बक्सों को खोलकर दो सोने की चेन, एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी बाली, एक जोड़ी झाला, तीन अंगूठी, एक नोज पिन और चार जोड़ी चांदी की पायल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि एवं

नूरजहाँ बेगम के 23,000/- रु. नकद लूट लिये। उसने नूरजहाँ बेगम के हाथों से पीतल की चार चूड़ियाँ भी निकाल लीं। हमले के परिणामस्वरूप नूरजहाँ बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। रोज़ी उर्फ रजिया की चीख सुनकर रमेश सतनामी (पीडब्लू-1), रामअवध पाल (पीडब्लू-5) और कॉलोनी के अन्य लोग आ गए। घटना के समय गुलाम मो. (पीडब्लू-2) ड्यूटी पर था और खबर मिलने पर वह घटना स्थल पर आया और रोजी उर्फ रजिया, जीनत परवीन और जावेद अख्तर को नेहरू अस्पताल ले गया।

4. रोजी उर्फ रजिया खातून (पीडब्लू-4) की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-10 के आधार पर, धारा 302, 307, 450, 394 और 397 आईपीसी के तहत मामला अपराध संख्या 0/10 पुलिस थाना विंध्यनगर दर्ज किया गया था।. नूरजहाँ और जावेद अख्तर की मौत की खबर मिलने के बाद, शिव कुमार दुबे (पीडब्लू-13) ने पुलिस चौकी जयंत, थाना विंध्यनगर में मर्ग सूचना-प्रदर्श -24 और 25 दर्ज की और मर्ग सूचना-प्रदर्श.पी/ 10 को संबंधित थाने को भेजा गया, जिसके आधार पर थाना बैढ़न में अपराध क्रमांक-का-0-304/10 दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ की गया।

5. उप-निरीक्षक, जे.एस. परस्ते (पीडब्लू-12), उसी दिन, घटनास्थल पर गए और नूरजहाँ बेगम के शव का पंचनामा (प्रदर्श.पी/12) तैयार किया। नूरजहाँ बेगम का शव पोस्टमॉर्टम जांच के लिए भेज दिया गया. जावेद अख्तर के शव के संबंध में जांच कार्यवाही करने के बाद उसे भी

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। डॉ. विनोद शर्मा (पीडब्लू.16) ने रजिया खातून और जीनत परवीन की चोटों की जांच की और उनके सिर पर चोटें पाईं। चोटें, गंभीर प्रकृति की, जीवन के लिए खतरनाक थीं।

6. डॉ. वीएन सतनामी (पीडब्लू-10) ने नूरजहाँ बेगम के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने उसकी खोपड़ी पर तीन चोटें पाईं, खोपड़ी की हड्डियां टूटी हुई थीं। उन्होंने अपनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट-प्रदर्श पी/19 प्रस्तुत की. उनकी राय में, मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। डॉ. वीएन सतनामी (पीडब्लू-10) ने जावेद अख्तर के शरीर का पोस्टमार्टम भी किया और उनके सिर पर दो चोटें पाईं। चोटों के नीचे खोपड़ी की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था। उनकी राय में, मृतक की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। जावेद अख्तर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी/20 है.

7. अनिल उपाध्याय (पीडब्लू-11) जांच अधिकारी थे, जिन्होंने उसी रात खरिया चौक से अभियुक्त को पकड़ा और उसकी पैंट की जेब से 23,020/- रुपये बरामद किए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पर, उन्होंने एनसीएल कॉलोनी स्थित अभियुक्त के घर से चोरी का सामान, लोहे का हथौड़ा और खून से सने कपड़े बरामद किए। बरामद वस्तुओं की पहचान गुलाम मोहम्मद (पीडब्लू.2) और रजिया खातून (पीडब्लू-4) ने की।

8. उचित जांच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और मामला सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता ने अपराध से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का निवेदन किया लेकिन उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

9. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 16 गवाहों का परीक्षण कराया और अपने मामले को साबित करने के लिए कई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे उपरोक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की।

10. डॉ. वीएन सतनामी (पीडब्लू-10), जिन्होंने नूरजहाँ बेगम के शरीर का पोस्टमॉर्टम किया, उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

> "(1) माथे के दाहिनी ओर 5 सेमी x 4 सेमी का लाल निशान मौजूद है। त्वचा के नीचे लाल रक्त का थक्का जम गया था.
>
> (2) माथे के बीच में 5 सेमी x 3 सेमी x हड्डी का गहरा घाव, पीछे की ओर अंतर्निहित हड्डी के कई फ्रैक्चर के साथ।

(3) सिर के बाएँ पश्चकपाल पार्श्विका क्षेत्र पर 4 सेमी x 3 सेमी x हड्डी का गहरा घाव, अंतर्निहित हड्डियों के दबे हुए एकाधिक फ्रैक्चर के साथ।

उनकी राय में मृतिका नूरजहाँ की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण कोमा में चले जाने के कारण हुई थी। मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट (पी/19) उनके द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित की गई थी।"

उसी दिन, डॉ. सतनामी (पीडब्लू-10) ने मृतक जावेद अख्तर के शरीर का पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

"(1) सिर के बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर 2 सेमी x 1 सेमी x हड्डी की गहराई पर 6 सेमी x 5 सेमी के आकार में परिधीय चोटों के साथ फटा हुआ घाव। अंतर्निहित हड्डी के कई दबे हुए फ्रैक्चर के साथ चमड़े के नीचे लाल रंग का रक्त का थक्का।

(2) 5 सेमी x 4 सेमी आकार के सिर के पिछले हिस्से पर लाल रंग का घाव, चमड़े के नीचे की हड्डी में लाल रक्त का थक्का और नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर।

उनकी राय में जावेद अख्तर की मौत चोट के कारण कोमा में जाने के कारण हुई थी. मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी।"

11. पन्चनामा ज्ञापन (प्रदर्श.पी/6 और पी/12) और सब-इंस्पेक्टर, जेएस परस्ते (पीडब्लू-12) और कांस्टेबल राज बहादुर पांडे (पीडब्लू-15) जिसने पन्चनामा जांच की, के साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि नूरजहाँ और जावेद अख्तर की मृत्यु उनके शरीर पर पाए गए घातक घावों से हुई।

12. अनिल उपाध्याय (पीडब्लू-11), जांच अधिकारी ने गवाहों मोहम्मद सादिक (पीडब्लू-6) और मोहम्मद यूनुस (पीडब्लू-7) की उपस्थिति में अभियुक्त को खरिया चौक, मेन रोड, पीएस शक्ति नगर से गिरफ्तार किया। और उससे पैसे जब्त किए और जब्ती ज्ञापन प्रदर्श.पी-15 तैयार किया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को थाना-जयंत लाया गया और गवाहों के सामने पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने आभूषण और अपराध करने में प्रयुक्त हथौड़े के संबंध में जानकारी दी; अनिल उपाध्याय (पीडब्लू-11) द्वारा लिखित ज्ञापन- प्रदर्श-पी-13 के माध्यम से अभियुक्त के घर से कपड़े, हथौड़ा और आभूषण जब्त किए गए। अनिल उपाध्याय ने कहा कि वह अभियुक्त के घर गए और लेख-ए 1 से ए 24 तक आभूषण लेख जब्त कर लिया; जब्ती ज्ञापन प्रदर्श.पी-14 तैयार किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि खून से सने कपड़े और लोहे का हथौड़ा गवाहों की उपस्थिति में जब्ती ज्ञापन प्रदर्श.पी-16 के तहत जब्त किया गया था।

13. मो. सादिक (PW.6) और मो. यूनुस (पीडब्लू-7) जब्ती ज्ञापन के स्वतंत्र गवाह हैं। अपने बयान में उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी

मौजूदगी में खारिया चौक पर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 23,000/- रूपये बरामद किये गये तथा अभियुक्त को पूछताछ हेतु थाना-जयन्त लाया गया। थाने में अभियुक्त ने आभूषण, हथौड़ी और कपड़े के बारे में खुलासा किया, जिसके आधार पर आभूषण, हथौड़ा और कपड़े जब्त कर लिए गए। दोनों गवाहों ने अनिल उपाध्याय (पीडब्लू-11) के बयान की पुष्टि की है। जिरह के दौरान दोनों गवाहों, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने स्वीकार किया कि वे गुलाम मोहम्मद के घर गए थे। दोनों गवाहों के बयानों में कोई कमज़ोरी या विरोधाभास नहीं है.

14. मो. अयाज़ खान (पीडब्लू-9) ने कथन किया है कि 8 जुलाई, 2010 को पुलिस के अनुरोध पर उन्होंने स्टेडियम बैढ़न में आभूषणों की पहचान की और पहचान से पहले पुलिस ने अन्य आभूषणों को एक सीलबंद पैकेट में सौंप दिया था। उन्होंने इसे मिलाया और फिर पहचान कराई और पहचान के दौरान गुलाम मो. और रजिया ने असली आभूषण की पहचान कर ली थी। पहचान के बाद उन्होंने स्टेडियम के बाहर खड़ी पुलिस को एक पैकेट में आभूषण सौंप दिए थे।

15. ज़ीनत परवीन (पीडब्लू-3) और रजिया खातून (पीडब्लू-4), मृतक नूरजहाँ की बेटियाँ और मृतक जावेद अख्तर की बहनें घायल प्रत्यक्षदर्शी हैं; घटना में दोनों को गंभीर चोटें आईं। गवाह पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना से कुछ समय पहले

अभियुक्त उनके घर आया था और पूर्व परिचित होने के कारण अभियुक्त ने अपनी मां के साथ बैठकर जलपान किया था और उनसे बातचीत भी कर रहा था। दोनों गवाहों के बयानों से अभियुक्तों द्वारा घटना से पूर्व उनके घर आने, मृतिका नूरजहाँ के साथ जलपान करने तथा उससे बातचीत करने के तथ्य सिद्ध होते हैं, जिसकी पुष्टि प्राथमिकी- प्रदर्श पी-10 से भी होती है। इन दोनों गवाहों ने यह भी कहा है कि अभियुक्त पहले ट्यूशन पढ़ने आते थे और उनकी मां अभियुक्त को अपने बेटे की तरह मानती थी और अभियुक्त की तस्वीर भी उनके घर में लगी हुई थी. उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 अभियुक्त की पहचान करने की स्थिति में थे, अभियुक्त लंबे समय से पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 दोनों से अच्छी तरह परिचित था। अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित कर दिया कि घटना से पहले भी अभियुक्त मृतक और घायल गवाहों पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 को जानता था और घटना की तारीख पर भी, अभियुक्त उनके घर आया था और जलपान किया था और बातचीत हुई थी।

16. जीनत परवीन (पीडब्लू-3) और रजिया खातून (पीडब्लू-4) ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि शुरू में अभियुक्त ने उनका घर छोड़ दिया और कुछ समय बाद अभियुक्त फिर से उनके घर आया था। दरवाज़ा खोलते ही उसने ज़ीनत परवीन की चीख सुनकर बाहर आए जावेद अख्तर के सिर पर हथौड़े से वार किया था और फिर बेडरूम में घुसकर उसने मृतक नूरजहाँ के सिर पर हथौड़ा मारा था। रजिया खातून (पीडब्लू-4) के

बयान से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त ने स्टोर-रूम में प्रवेश करने के बाद उसके सिर पर हमला किया था और फिर अभियुक्त ने अलमारी, सूटकेस, बक्से और अटैची से पैसे और आभूषण आदि निकाल लिए थे। मद सं. 7 में जीनत परवीन (पीडब्लू-3) ने यह भी कहा है कि उसने अभियुक्त को जावेद अख्तर के सिर पर मारते हुए देखा था लेकिन वह यह नहीं देख सकी कि रजिया और उसकी मां को किसने मारा। रजिया खातून (पीडब्लू-4) द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर इस तरह के बयान को विरोधाभासी नहीं कहा जा सकता है और यह अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

17. इसी प्रकार, रजिया खातून (पीडब्लू-4) के बयान से, हमें पता चलता है कि अभियुक्त ने जीनत परवीन, जावेद अख्तर और नूरजहाँ को मारने के बाद आभूषण, नकद राशि और नूरजहाँ की चूड़ियाँ छीन लीं और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गया।

18. पीडब्लू-4 ने आगे बताया कि अभियुक्त के बाहर से दरवाजा बंद करके भागने के बाद वह बालकनी में गई और सतनामी (पीडब्लू-1) को रोका, जिसने उस समय अपना वाहन निकाला था और कहीं जा रहा था। फिर दरवाजा खुलवाया गया। बालकनी से चिल्लाकर सतनामी (पीडब्लू-1) को रोकने और फिर सतनामी द्वारा दरवाजा खोलने के बारे में रजिया

खातून (पीडब्लू-4) के बयान भी रमेश सतनामी (पीडब्लू-1) के बयान से साबित होते हैं, जिन्होंने इसी तरह का बयान दिया था।

19. घायल गवाह जीनत परवीन (पीडब्लू-3) और रजिया खातून (पीडब्लू-4) द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है, आभूषण, हथौड़ा, खून से सने कपड़े की जब्ती (उदाहरण पी-13) और अनिल उपाध्याय (पीडब्लू-11) के बयान, जैसा कि सादिक (पीडब्लू-6) और यूनुस (पीडब्लू-7) ने पुष्टि की, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302, 307, 394 सपठित धारा 397 एवं 450 आई.पी.सी. के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया।

20. अभियुक्त को उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अवसर देने से इनकार करने के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया गया पहला आधार गलत है क्योंकि रिकॉर्ड से हम पाते हैं कि अभियुक्त को उचित अवसर दिया गया था।

21. विचारण न्यायालय की दिनांक 25 सितंबर, 2010 की ऑर्डर शीट से पता चलता है कि अपीलकर्ता ने एक आवेदन दिया था कि अपीलकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र सिंह चौहान द्वारा गवाहों की जिरह कराना चाहता था, इसलिए, उसने गवाहों की जिरह को स्थगित करने का अनुरोध किया। विचारण न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी। 27 सितम्बर 2010 को अभियुक्त के अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र सिंह, जो अभियुक्त का बचाव

कर रहे थे, ने उसका बचाव करने से इंकार कर दिया। विचारण न्यायालय ने तब राज्य के खर्च पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में श्री जीपी द्विवेदी, अधिवक्ता को नियुक्त किया।

22. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि श्री अमरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना वकालतनामा दाखिल किया था। 25 सितंबर, 2010 को, जब मामला साक्ष्य के लिए तय किया गया था, हालांकि वह गवाहों से जिरह करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने इस आधार पर गवाहों की जिरह को स्थगित करने के लिए आवेदन दायर किया कि अभियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान को नियुक्त करना चाहता था। हालांकि, न तो राजेंद्र सिंह चौहान उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई वकालतनामा दाखिल किया गया। उस दिन, दो गवाह, अर्थात् रमेश सतनामी (पीडब्लू-1) और गुलाम मोहम्मद (पीडब्लू-2) का परीक्षण किया गया और श्री अमरेंद्र सिंह, अधिवक्ता ने उन गवाहों से जिरह की। उन गवाहों में से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था; वास्तव में उनमें से एक, रमेश सतनामी (पीडब्लू-1) को पक्षद्रोही घोषित किया गया था। 27 सितंबर, 2010 को, श्री अमरेंद्र सिंह ने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होने से इनकार कर दिया, जब अपीलकर्ता ने पूछने पर किसी भी अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थता व्यक्त की। चूंकि अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए विचारण न्यायालय ने अपील को आगे बढ़ाने के लिए श्री जीपी द्विवेदी, अधिवक्ता को

नियुक्त किया। अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि श्री जीपी द्विवेदी सक्षम नहीं थे या मामले को संभालने में असमर्थ थे। इसके विपरीत श्री जीपी द्विवेदी द्वारा की गई गवाहों की जिरह से हमने पाया कि वह मामले से निपटने में सक्षम थे। अगली तारीख पर भी न तो श्री राजेंद्र सिंह चौहान, अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही उन्होंने अपना वकालतनामा दाखिल किया।

23. अगला सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा अत्यधिक है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अनुपातहीन है, यानी क्या वर्तमान मामले को दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामला कहा जा सकता है।

24. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 (2) एससीसी 684 से उभरे दिशानिर्देश मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, 1983 (3) एससीसी 470 में इस न्यायालय द्वारा देखे गए थे। उक्त मामले में न्यायालय ने कहा:

38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह मामले, 1980 (2) एससीसी 684 में बताए गए दिशानिर्देशों को बाहर निकालना होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मौत की सजा देने का सवाल उठता है। बचन सिंह मामले (सुप्रा) से निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैं:

“(i) अत्यधिक दोषी होने के गंभीर मामलों को छोड़कर मौत की कठोर सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ-साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मौत की सज़ा केवल तभी दी जानी चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त सज़ा प्रतीत हो, और बशर्ते, और केवल यह प्रदान किया गया हो कि आजीवन कारावास की सज़ा अधिरोपित करने का विकल्प अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों तथा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं लिया जा सकता है।

(iv) बढ़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक तुलना पत्र तैयार करना होगा और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा।

39. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रश्न पूछे और उत्तर दिए जा सकते हैं:

(ए) क्या उस अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा की मांग करता है?

(बी) क्या अपराध की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

40. यदि उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेने और यहां ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मौत की सजा जरूरी है, तो न्यायालय आगे बढ़ेगी।"

25. रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवारिस और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1998 (3) एससीसी 625 में, इस न्यायालय ने कहा:

"45. इसके बाद इन सिद्धांतों को इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में लागू किया गया है और यहां मामलों को

बढ़ाना अनावश्यक है। क्या मामला दुर्लभतम मामलों में से एक है, यह एक प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि मौत की सजा का विकल्प केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए और जहां अभियुक्त की दोषीता ने भ्रष्टता मान ली है या जहां अभियुक्त एक कट्टर अपराधी और समाज के लिए खतरा पाया जाता है और ; जहां अपराध संगठित तरीके से किया गया हो और वीभत्स, क्रूर, जघन्य और नृशंस हो; जहां बिना किसी उकसावे के निर्दोष और निहत्थे व्यक्तियों पर हमला किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, मामला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए विशेष कारण प्रस्तुत करेगा।

रॉनी उर्फ रोनाल्ड जेम्स अलवारिस (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने अलाउद्दीन मियां और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5, मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख किया कि जब तक अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थितियों से यह पता नहीं चलता कि अपराधी समाज के लिए खतरा है और आजीवन कारावास की सजा पूरी तरह से अपर्याप्त होगी,

न्यायालय को आम तौर पर कम सजा देनी चाहिए न कि मौत की सज़ा जिसे केवल असाधारण मामले के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किए गए अपराध, अभियुक्त की कम उम्र, सुधार और पुनर्वास की संभावना आदि सभी कारकों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय सजा को आजीवन कारावास में बदल सकती है।''

26. महाराष्ट्र राज्य बनाम गोरक्ष अंबाजी अडसुल, 2011 (7) एससीसी 437 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

30. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2010) 8 एससीसी 775 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की घोषणा के बाद से, हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र में सजा नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत कमोबेश सुसंगत रहे हैं। सजा देना निश्चित रूप से एक आपराधिक न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण कार्य है। न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सजा देने वाले कानून के सिद्धांतों, मामले में उठाए गए विशेष या सामान्य कानून के विधायी मंशा और सजा देने के प्रभाव को ध्यान में रखे। ये वो बारीकियां हैं जिनकी न्यायालय को विवेक और गहराई से जांच करने की जरूरत है।

31. सीआरपीसी की धारा 354(3) को लागू करने के पीछे विधायी मंशा एक मानव जीवन को छीनने और अभियुक्त को मौत की सजा देने के लिए विधायिका की चिंता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। मानव जीवन की गरिमा की चिंता कानून के साधनों के माध्यम से किसी की जान लेने के विरोध को दर्शाती है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, दुर्लभ से दुर्लभ मामलों को छोड़कर, जब तक कि वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद न हो जाए। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय शमन करने वाली परिस्थितियों और उनके परिणामी प्रभावों पर भी विचार करेगा।

32. धारा 354(3) की भाषा विधायी चिंता और उन शर्तों को दर्शाती है जिन्हें मृत्युदंड अधिरोपित करने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। शब्द, "मौत की सजा के मामले में, ऐसी सजा के विशेष कारण" स्पष्ट रूप से विधायिका के आदेश को प्रदर्शित करते हैं कि मौत की सजा देने के लिए ऐसे कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। इस तरह कानून में दुर्लभतम मामलों की अवधारणा सामने आई है। उस दृष्टिकोण से देखने पर, विधायी प्रावधान और न्यायिक घोषणाएँ दोनों ही कानून में समान हैं। मृत्युदंड दुर्लभतम मामलों में दिया जाना चाहिए और वह भी विशेष कारणों को दर्ज करने के बाद। सीधे शब्दों में कहें तो मौत की सज़ा कोई नियम नहीं बल्कि एक अपवाद है। यहां तक कि अपवाद को बचन सिंह (सुप्रा) मामले में न्यायालय के आदेश के आलोक में सीआरपीसी की धारा 354(3) के तहत विचार की गई पूर्वापेक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

33. बचन सिंह (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1998) 1 एससीसी 149 में पैरा 38 में संक्षेपित किया गया है, और मौत की सज़ा अधिरोपित करने की संभावना पर विचार करते समय निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं : (मच्छी सिंह मामला (सुप्रा), एससीसी पृष्ठ 489)

"(i) अत्यधिक दोषी होने के गंभीर मामलों को छोड़कर मौत की कठोर सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराध' की परिस्थितियों के साथ-साथ 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(iii) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मौत की सज़ा केवल तभी दी जानी चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त सज़ा प्रतीत हो, और बशर्ते, और केवल यह प्रदान किया गया हो कि आजीवन कारावास की सज़ा अधिरोपित करने का विकल्प अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों तथा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं लिया जा सकता है।

(iv) बढ़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक तुलना पत्र तैयार करना होगा और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का प्रयोग करने से पहले गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक उचित संतुलन बनाना होगा। " (जोर दिया गया)

34. बचन सिंह (सुप्रा) के फैसले में, न केवल उपरोक्त दिशानिर्देशों को कुछ विस्तार से बताया गया, बल्कि उन कम करने वाली परिस्थितियों को भी निर्दिष्ट किया गया, जिन पर ऐसे गंभीर मुद्दों का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है और वे इस प्रकार हैं: (एससीसी पी। 750, पैरा 206)

‘’206. ... 'परिस्थितियों को कम करना।— उपरोक्त मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी:

(1) यह अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था।

(2) अभियुक्त की उम्र. अगर अभियुक्त जवान या बूढ़ा है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी.

(3) संभावना है कि अभियुक्त हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा क्योंकि यह समाज के लिए एक निरंतर खतरा होगा।

(4) संभावना है कि अभियुक्त को सुधारा और पुनर्वासित किया जा सकता है।

राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त उपरोक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

(5) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि अपराध करना नैतिक रूप से उचित था।

(6) कि अभियुक्त ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व में कार्य किया।

(7) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करने की उसकी क्षमता को क्षीण कर दिया।"

35. अब, हम इस न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं से उत्पन्न कुछ उदाहरणों की जांच कर सकते हैं।

36. डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2002) 1 एससीसी 351 में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि हिरासत में यातना और

परिणामी मौत एक अपराध था जो दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। ऐसे फैसले के समर्थन में कारण बताते हुए न्यायालय ने उस मामले में मौत की सजा सुनाई.

37. संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1972) 2 एससीसी 640 में, इस न्यायालय ने पैरा 56 से 58 में यह भी बताया कि प्रकृति, उद्देश्य, अपराध का प्रभाव, दोषीता, साक्ष्य की गुणवत्ता, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ पुनर्वास की असंभवता ऐसे कारक हैं जिन पर न्यायालय ऐसे मामलों से निपटने के दौरान विचार कर सकती है। उस मामले में पीड़ित के दोस्तों ने उसे फिल्म देखने के लिए बुलाया था और फिल्म देखने के बाद फिरौती के लिए कॉल किया गया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने पीड़ित की हत्या कर दी. न्यायालय ने महसूस किया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपराधी खुद को सुधारने में असमर्थ थे, यह दुर्लभतम मामला नहीं था, और इसलिए, अभियुक्त को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया।

38. वशराम नरसीभाई राजपारा बनाम गुजरात राज्य, (1996) 8 एससीसी 167 में मृतक और अभियुक्त के बीच प्रचलित पारस्परिक परिस्थितियों को भी एक प्रासंगिक विचार माना गया था, जहां परिवार द्वारा लगातार डांट को कम करने वाले कारक के रूप में माना गया था, यदि अभियुक्त मानसिक रूप से असंतुलित है और परिणामस्वरूप परिवार के

सदस्यों की हत्या कर देता है। इसी तरह, व्याप्त कड़वाहट की तीव्रता और बदले की भावना और प्रतिशोध की प्यास में उबलते विचारों को भी इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में एक प्रासंगिक कारक माना गया।

39. सतीशभूषण बारिया (सुप्रा) में इस न्यायालय ने विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और कारकों पर भी विचार किया, जिन पर ऐसे मामलों से निपटने के दौरान न्यायालयों द्वारा विचार किया जाएगा। न्यायालय ने पुनर्वास के सिद्धांत और विवेक के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर कुछ विस्तार से चर्चा की। पुनर्वास के सिद्धांत के अनुप्रयोग और परिस्थितियों को कम करने के लिए दिए जाने वाले महत्व की सीमा पर विचार करते समय, इसने सबूतों की प्रकृति और अभियुक्तों की पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया। उस मामले में सजा पूरी तरह से अनुमोदनकर्ता के बयान पर आधारित थी और यह पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था। इस प्रकार, विवेक के सिद्धांत को लागू करते हुए, इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि अभियुक्त बेरोजगार थे, नौकरी की तलाश में युवा थे और वे अपराधी नहीं थे। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित और दूसरों द्वारा स्वीकार की गई योजना के कार्यान्वयन में, उन्होंने अपने एक दोस्त का अपहरण कर लिया। अपहरण उसके परिवार से फिरौती वसूलने के मकसद से किया गया था, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को टुकड़ों में काटकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है,

दोषसिद्धि मुख्य रूप से सरकारी गवाह के बयान पर आधारित थी। "41. उपरोक्त सिद्धांत, जैसा कि मामले के चित्रण से समर्थित है, स्पष्ट रूप से विभिन्न नियमों को दर्शाता है जो सीआरपीसी की धारा 354(3) के तहत वर्णित मापदंडों के भीतर न्यायालयों द्वारा न्यायिक विवेक के प्रयोग को नियंत्रित करेगा। मृत्युदंड देना किसी व्यक्ति का जीवन छीनने के समान है, जो उपलब्ध सबसे मूल्यवान अधिकार है, चाहे इसे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए या मानवाधिकार के दृष्टिकोण से। मृत्युदंड देने के लिए विशेष कारण प्रदान करने की शर्त को भाषाई रूप से नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि यह मृत्युदंड का समर्थन करने और उसे निर्विवाद बनाने वाले तर्क की बुनियादी विशेषताओं को संतुष्ट करना है। परिस्थितियाँ और अपराध करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यह न्यायालय की न्यायिक चेतना को इस हद तक प्रभावित करे कि एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष मृत्युदंड देना होना चाहिए।

27. इस न्यायालय ने रामनरेश और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2012 (4) एससीसी 257 में एक अपराध के संबंध में गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान दिया और निम्नानुसार माना:

> "76. इस न्यायालय द्वारा अपने हालिया निर्णयों में प्रतिपादित कानून, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उन सिद्धांतों को जोड़ता और विस्तृत करता है जो बचन सिंह,

(1980) 2 एससीसी 684, और उसके बाद, मच्छी सिंह, (1983) 3 एससीसी 470 में बताए गए थे। उपरोक्त निर्णय, मुख्य रूप से इन सिद्धांतों को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करते हैं-एक "बढ़ाने वाली परिस्थितियाँ" जबकि दूसरा "कम करने वाली परिस्थितियाँ"। न्यायालय इन दोनों पहलुओं के संचयी प्रभाव पर विचार करेगी और आम तौर पर, न्यायालय के लिए अन्य वर्गों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग के संदर्भ में सजा नीति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णय लेना बहुत उपयुक्त नहीं हो सकता है। अन्य शीर्षों के अंतर्गत. दोनों में संतुलन बनाना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है। न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह संतुलित करते हुए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी और धारा 354(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय द्वारा एक प्रभावी और सार्थक तर्क प्रदान किया जा सकेगा।

उत्तेजक परिस्थितियाँ

(1) हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से संबंधित अपराध, मृत्युदंड के लिए दोषी ठहराए जाने का पूर्व रिकॉर्ड रखने वाले अभियुक्तों द्वारा या गंभीर अपराध का पर्याप्त इतिहास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध हमले और आपराधिक सजा.

(2) अपराध तब किया गया जब अपराधी किसी अन्य गंभीर अपराध को अंजाम देने में लगा हुआ था।

(3) यह अपराध बड़े पैमाने पर जनता में भय का माहौल पैदा करने के इरादे से किया गया था और सार्वजनिक स्थान पर एक हथियार या उपकरण द्वारा किया गया था जो स्पष्ट रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है।

(4) हत्या का अपराध फिरौती के लिए या धन या मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया अपराध था।

(5) भाड़े की हत्याएँ।

(6) यह अपराध केवल अभाव के लिए अपमानजनक तरीके से किया गया था, जिसमें पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार और यातना शामिल थी।

(7) अपराध एक व्यक्ति द्वारा वैध हिरासत में रहते हुए किया गया था।

(8) हत्या या अपराध किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य के वैध कारावास के स्थान पर गिरफ्तारी या हिरासत जैसे कर्तव्य को कानूनी रूप से पूरा करने से रोकने के लिए किया गया था। उदाहरण के लिए, हत्या उस व्यक्ति की है जिसने सीआरपीसी की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य का कानूनी निर्वहन किया था।

(9) जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो जैसे पूरे परिवार या किसी विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या का प्रयास करना।

(10) जब पीड़ित निर्दोष, असहाय हो या कोई व्यक्ति रिश्ते और सामाजिक मानदंडों के विश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा करता हो, जैसे कि एक बच्चा, असहाय महिला, एक बेटी या भतीजी जो अपने पिता/चाचा के साथ रहती है और ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है।

(11) जब हत्या किसी ऐसे मकसद से की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता का सबूत हो।

(12) जब बिना उकसावे के निर्मम हत्या कर दी जाए।

(13) अपराध इतनी क्रूरता से किया जाता है कि यह न केवल न्यायिक विवेक को बल्कि समाज के विवेक को भी चुभता या झकझोरता है।

शमन करने वाली परिस्थितियाँ

(1) जिस तरीके और परिस्थितियों में और जिसके तहत अपराध किया गया था, उदाहरण के लिए, सामान्य स्थिति में इन सभी स्थितियों के विपरीत अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति या अत्यधिक उत्तेजना।

(2) अभियुक्त की उम्र एक प्रासंगिक विचार है लेकिन अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं है।

(3) अभियुक्त के दोबारा अपराध में शामिल न होने की संभावना और अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना।

(4) अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और दोष ने उसके आपराधिक आचरण की परिस्थितियों की सराहना करने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया।

(5) वे परिस्थितियाँ जो, जीवन के सामान्य क्रम में, इस तरह के व्यवहार को संभव बनाती हैं और उस स्थिति में मानसिक असंतुलन को जन्म देने का प्रभाव हो सकता है

जैसे लगातार उत्पीड़न या, वास्तव में, मानव व्यवहार के ऐसे चरम पर पहुँचना कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त का मानना था कि अपराध करना नैतिक रूप से उचित था।

(6) जहां सबूतों की उचित सराहना के बाद न्यायालय का मानना है कि अपराध पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं किया गया था और मृत्यु किसी अन्य अपराध के दौरान हुई थी और इसको प्राथमिक अपराध के परिणामों के रूप में समझे जाने की संभावना थी।

(7) जहां एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा करना बिल्कुल असुरक्षित है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को उजागर कर दिया है।

सजा नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण करते समय, न्यायालय ने अनुच्छेद 77 में सिद्धांत निर्धारित किए जो इस प्रकार हैं:

"77. सजा नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्धारण करते समय, न्यायालय को कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है और वे सिद्धांत मौत की सजा देने या अन्यथा देने में उपरोक्त विचारों के अलावा ध्रुवतारा होते हैं।

सिद्धांत

(1) न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण लागू करना होगा कि क्या यह मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामला था।

(2) न्यायालय की राय में, कोई अन्य सज़ा यानी आजीवन कारावास अधिरोपित करना पूरी तरह से अपर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा।

(3) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है।

(4) अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प सावधानी से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है।

(5) तरीका (योजनाबद्ध या अन्यथा) और तरीका (क्रूरता और अमानवीयता की सीमा, आदि) जिसमें अपराध किया गया था और ऐसी परिस्थितियाँ जिसके कारण ऐसा जघन्य अपराध हुआ।

28. हाल ही में, इस न्यायालय ने शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (5) एससीसी 546 में मौत की सजा के एक मामले से निपटते हुए कहा:

"52. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तेजक परिस्थितियाँ, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं हैं, इसलिए कम करने वाली परिस्थितियाँ भी संपूर्ण नहीं हैं। मेरे सुविचारित विचार में, मौत की सज़ा देते समय हमें जो परीक्षण लागू करने होते हैं वे हैं "अपराध परीक्षण", "आपराधिक परीक्षण" और "आर-आर परीक्षण" न कि "संतुलन परीक्षण"। मौत की सज़ा देने के लिए, "अपराध परीक्षण" को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा, यानी 100% और "आपराधिक परीक्षण" को 0%, यानी, अभियुक्त के पक्ष में कोई शमन करने वाली परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई परिस्थिति अभियुक्त के पक्ष में है, जैसे अपराध करने के इरादे की कमी, सुधार की संभावना, अभियुक्त की कम उम्र, समाज के लिए कोई खतरा नहीं, कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, आदि तो "आपराधिक परीक्षण" अभियुक्त के पक्ष में हो सकता है। फांसी की सज़ा से बचने के लिए अभियुक्त. भले ही दोनों परीक्षण संतुष्ट हों, यानी पूरी तरह से विकट परिस्थितियाँ और अभियुक्त के पक्ष में कोई शमन करने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं, फिर भी हमें अंततः दुर्लभतम मामले का परीक्षण (आरआर परीक्षण) लागू करना होगा। आरआर परीक्षण समाज की उस धारणा पर निर्भर करता है जो

"समाज-केंद्रित" है न कि "न्यायाधीश-केंद्रित", यानी कि क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं। उस परीक्षण को लागू करते समय, न्यायालय को कुछ प्रकार के अपराधों जैसे कि बौद्धिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न और हत्या, शारीरिक विकलांगता से पीड़ित, उन विकलांगताओं वाली बूढ़ी और कमजोर महिलाओं के प्रति समाज की घृणा, अत्यधिक आक्रोश और घृणा जैसे कई कारकों पर गौर करना होगा। उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं, संपूर्ण नहीं। अदालतें मौत की सज़ा देती हैं क्योंकि स्थिति की मांग संवैधानिक मजबूरी के कारण होती है, जो लोगों की इच्छा से प्रतिबिंबित होती है न कि न्यायाधीशों की इच्छा से।"

29. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता एक शिक्षित व्यक्ति है, अपराध करने के समय उसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। अभियुक्त मृतक नूरजहाँ के परिवार में अनुशिक्षक था। वह मृतक के साथ-साथ जीनत परवीन (पीडब्लू-3) और रजिया खातून (पीडब्लू-4) से भी परिचित था। अभियुक्तों द्वारा ले जाए गए सामान और नकदी के अलावा अपराध करने के मकसद का सुझाव देने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अपीलकर्ता को सुधारा नहीं जा सकता या अभियुक्त एक

सामाजिक खतरा है। विचाराधीन घटना के अलावा अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह सच है कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मौत की सज़ा व्यापक और अनावश्यक रूप से कठोर होगी।

30. तदनुसार, हम अपीलकर्ता की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हैं। दोषसिद्धि और सजा के शेष भाग की पुष्टि की जाती है। अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

निधी जैन   अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यश बिश्नोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।